



# पंचायती राज विभाग

बिहार राज्य जिला परिषद सेवासर्त नियमावली,

2023 के तहत जिला अभियंता के कुल स्वीकृत

38 पदों पर सविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन :-

बिहार राज्य जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाओं के सफल प्रबंधन हेतु जिला अभियंता के निम्न पदों पर नियोजन हेतु कोटिदार पदों की संख्या, योग्यता एवं अनुभव तथा मानदेय एवं अन्य शर्त निम्नवत् है :-

S.No.	Type of Post	Qualification & Experience	HC of Post			Fixed Pay (Per Month in Rupees)
1	District Engineer	आर्किटेक्चर अभियंता के पद में सेवानिवृत्त पदाधिकारी  जिला परिषद के जिला अभियंता के पद पर पूर्व में कार्य का अनुभव रखने वाले अभियंताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।	कुल - 38			Last Requirement period. The actual cost of contract will be incurred after employment.
			DA	10	05	
			EMC	05	03	
			IC	04	02	
			PC	03	03	
			SA	02	00	
			WBC	02	01	
			ERS	01	01	

03. सविदा पर नियोजन हेतु मानकों :-

(A) आवेदनकाल गांधी का जयन्तिक हो।

(B) सेवा निवृत्त पदाधिकारियों का सविदा आधारित नियोजन के लिए एवं सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के सफल संख्या-03/एम०-53/2013 का प्र०-10000, दिनांक-10.07.2015 के संदर्भों से अनुसंधित होगी।

(C) नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तकारी शर्तों को संतुष्ट नहीं की जा सकेगी।

(i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।

(ii) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।

(iii) जिन पर कोई गौरी आश्रम विवाद चल रहा हो।

(iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला चल रहा हो।

इस अधिसूचना के अंतर्गत कार्यवाही के लिए उपरोक्त शर्तों की मान्यता लंबित नहीं है।

04. आवेदन की प्रक्रिया :-

(A) सम्पूर्ण जवन प्रक्रिया का प्रबंधन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा।

(B) यदि कोई अन्यथा विज्ञापन बंद के लिए अर्थात् खतबे को तो इस मध्य पर online आवेदन कर सकते हैं।

05. पंचायती राज विभाग के उपलब्ध लिंक वेबसाइट [state.bihar.gov.in/prdbihar](http://state.bihar.gov.in/prdbihar) पर दिनांक-21.08.2024 को अपडेट 05:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन की जा सकेगी एवं प्राप्त आवेदन के अंतर्गत से दिनांक-28.08.2024 को विभागीय सलाहकार ने अनुसंधित गति जायेगी। जिला अभियंता के संबंधित पदों की संख्या / आरक्षण कोटिदार विधि का विवरण पंचायती राज विभाग के इस वेबसाइट [state.bihar.gov.in/prdbihar](http://state.bihar.gov.in/prdbihar) पर प्रदर्शित है। जिला अभियंता के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के विभागों के अनुसार दिशाओं एवं स्वतंत्रता सहायकों के लक्ष्य-नदीनी / पेशा / पेशी को हेतु आरक्षण अनुसंधित है।

06. Online आवेदन समर्पित करने के उपरान्त इसमें त्रुटि सुधार, भूल सुधार और किसी अन्य संशोधन हेतु कोई दावा / आपत्ति मान्य नहीं होगा और न ही इसका अवसर दिया जाएगा। Online आवेदन में दो त्रुटि सुधार के अलावा पर नियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

07. सम्पत्ति सम्प्रीकृत्य की नियुक्ति बिहार के किसी भी जिले में की जा सकेगी।

08. जिला अभियंता के पद पर नियुक्ति सम्प्रीकृत्य की विभागीय आपत्ति कोटि के अनुसार सम्पत्ति जिलों में प्रदर्शित किया जाएगा।

09. कार्य अनुभव के प्रमाण रजिस्ट्रार P.P.O. को उपचारित किया जाएगा।

संवर्धित कर्मियों के संवर्धित कर्मियों के समय वेतन + महंगाई पता का योगफल में से वेतन + महंगाई पता पदावर कोपना कि का गुणवत्ता किया जाएगा।

10. सविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से दो वर्ष के लिए होगी जिसे आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जा सकेगा नियोजन अवधि कितना नहीं किया जाने की स्थिति में नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति पर यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा और इसके लिये अलग से कोई सूचना / आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा।

11. सविदा एकराजिता वेबसाइट [state.bihar.gov.in/prdbihar](http://state.bihar.gov.in/prdbihar) पर उपलब्ध बंद के अनुसार प्रकरणात्मक किया जाएगा।

(गोविन्द चौधरी)

उप सचिव

PR-004953 ( Panchayat Raj ) 2024-25

नदी से पचने का है एक ही उपचार, दूह संकल्य और परिवार से प्यार।